रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1987/आषाढ़ 8, 1909

No. 322] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1987/ASADHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली 29 जून, 1987

अधिसूचना

का. आ. 646 (अ)—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक "पारस्परिक निधि" खड़ा करने अथवा स्थापित करने और संचालित करने का इस प्रकार का कारबार विनिर्दिष्ट करती है जिसका करना बैंककारी कम्पनी के लिए विधिसम्मत है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "पारस्परिक निधि" से अभिप्रेत है,—

(i) प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंध, व्यापार या व्ययन, सहभागिता प्रमाण-पत्र या किसी अन्य लिखत का कारबार;

(ii) आय और वृद्धि का सहभागिता कारबार;

(iii) यूनिट ट्रस्ट स्कीम,

जो उनसे उद्भूत होने वाली आय, लाभों या अभिलाभों में सहभागिता लिए, सहभागी सदस्यों को शेयरों या यूनिटों के धारकों के रूप में या अन्यथा, इस प्रयोजन के लिए सृजित किसी निधि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए हैं।

(ख) "यूनिट ट्रस्ट स्कीम" से प्रतिभूतियों या सभी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण प्रबंध या व्ययन से उद्भूत होने वाले लाभों या आय में किसी न्यास के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सहभागिता के लिए सुविधाएं देने के प्रयोजन के लिए किए गए कोई ठहराव अभिप्रेत हैं, या जिनका प्रभाव प्रतिभूतियों या सभी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण, प्रबंध या व्ययन से उद्भूत होने वाले लाभों या आय में किसी न्यास के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सहभागिता के लिए सुविधाएं देना है।

(ग) "प्रतिभूति" के अंतर्गत हैं,—

(i) किसी कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र, लिखतें और अन्य स्टाक;

(ii) कम्पनियों, अन्य निगमित निकायों, अनुसूचित बैंकों या क्रिया-शील संस्थाओं में धन का निक्षेप करना;

(iii) केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी विदेशी सरकार या विदेशी बैंक या भारत के बाहर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा चालू किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी वाणिज्यिक प्रपत्र या प्रतिभूति में विनिधान;

(iv) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां।

[सं. 11/17/87-बी. ओ. -III]

मनोश चन्द्र सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 646(E).—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (1) of section 6 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies setting up or establishing and conducting a "Mutual Fund" as a form of business in which it is lawful for a banking company to engage.

Explanations :—For the purposes of this Notification,—

(a) "Mutual Fund" means,—

(i) the business of acquisition, holding, management, trading nor disposal of securities, participation certificates or any other instruments;

(ii) income or growth participation business;

(iii) unit trust schemes;

for the purpose of providing facilities for participation in, or distribution of, the income, profits or gains arising therefrom to the participating members as holders of shares or units or otherwise, of any fund created for the purpose.

(b) "unit trust scheme" means any arrangements made for the purpose, or having the effect, of providing facilities for the participation by persons, as beneficiaries under a trust, in profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of securities or any other property whatsoever.

(c) "securities" include—

(i) shares, debentures, bonds, instruments and other stock of any company or corporate body;

(ii) keeping money on deposit with the companies, other bodies corporate, scheduled banks or like institutions;

(iii) investments in any commercial paper or security noated by the Central Government, the Reserve Bank of India or any local authority, or by any foreign Government or foreign bank or any other authority outside India and approved by the Reserve Bank of India; and

(iv) Government securities as defined in the Public Debt Act, 1944(18 of 1944).

[No. 11|17|87-BO-III]

M. C. SATYAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987